

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 207/2025

बोहड सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह जाति तरखान निवासी सादुलशहर हाल
आबाद रामपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
-वादी

बनाम

1. परमजीत कौर पुत्री श्री सुरजीत सिंह पत्नी श्री सरजीत सिंह जाति तरखान
निवासी बाघापुराना तहसील बाघापुराना जिला मोगा (पंजाब)
2. वीरपाल कौर पुत्री श्री सुरजीत सिंह पत्नी श्री कुलविन्द्र सिंह जाति तरखान
निवासी बाघापुराना तहसील बाघापुराना जिला मोगा (पंजाब)
3. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह जाति तरखान निवासी रामपुरा तहसील अबोहर
जिला फाजिल्का (पंजाब)
4. जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह जाति तरखान निवासी रामपुरा तहसील अबोहर
जिला फाजिल्का (पंजाब)
5. गुरदीप सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह जाति तरखान निवासी रामपुरा तहसील अबोहर
जिला फाजिल्का (पंजाब)
6. जसविन्द्र कौर पुत्री श्री बूटा सिंह पत्नी श्री करनैल सिंह जाति तरखान निवासी
कूरपूरा तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. विन्द्रपाल कौर पुत्री श्री बूटा सिंह पत्नी श्री बूटा सिंह जाति तरखान निवासी
कबली राठान तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया।

-प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री गुरमीत सिंह कलसी, एडवोकेट
प्रतिवादी सं. 1 ता 7 की ओर से :- श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल, एडवोकेट

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 19.5.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक(आर.ए.एस.) के समक्ष
वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री गुरमीत सिंह कलसी वकील
वादीगण मिन जामिन मुदई तथा श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल वकील प्रतिवादी
सं. 1 ता 7 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह
डिक्री दी जाती है कि चक 8 आई.डी.जी. के खाता सं. 118/11 खाता कपूर
कौर वगैरा जमाबन्दी सम्बत् 2072-2075 (जमाबन्दी 2078) में दर्ज कुल
लगातार --2


सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

7.084 है. मे से सरजीत सिंह पुत्र श्री हीरा सिंह के नाम दर्ज 232/1771
हिस्सा आराजी का तथा बूटा सिंह पुत्र श्री हीरा सिंह के नाम दर्ज 85/7084
हिस्सा आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रतिवादी
सं. 1 ता 7 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अतः इसी मुताबिक राजस्व
रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर उक्त चक के उक्त खाता में से सरजीत
सिंह, बूटा सिंह पुत्रगण श्री हीरा सिंह का नाम कलमजन किया जावे।

निज/..... निल/..... मुब्लिक/..... निल/..... बाबत्
...../..... निल...../..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना
आज की तारीख वसूलयाबी तक/.....को अदा करे।



बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 19.5.2022
को जारी किया जाता है।


(जय कौशिक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिक्ता (सिजस्व),
संगरिया